UPGB010073452026

न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय/विशेष न्यायाधीश(एस.सी/एस.टी. एक्ट)
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–3054/2026
शेखर पुत्र श्यौराज प्रति उत्तर प्रदेश राज्य

आदेश/07.08.2026

1– आवेदक/अभियुक्त शेखर की ओर से अपराध सं0 185/2026 धारा–115(2),109(1),351(3),352,3(5) बी0एन0एस0 व 3/25/27 आयुध अधिनियम थाना–जेवर, जिला गौतमबुद्धनगर में जमानत का आवेदन दिया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा रेशमपाल जादौन उर्फ रिशु राणा द्वारा इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी गयी कि वह ग्राम चिग्रावली थाना बुलन्दशहर में होटल ड्रीम व्यू का संचालन करता है। दिनांक 22.05.2026 को शेखर ने उसे होटल प्रकरण में दबाव बनाने लगा। दिनांक 24.5.26 की रात्रि लगभग 11:20 बजे शेखर जादौन अपने साथ केशव राना वादी के घर आकर जान से मारने की धमकी देकर होटल को खाली करने को कहकर वहां से चले गये। पुनः दिनांक 25.05.2026 को शाम लगभग 6:30 बजे कस्बा जहांगीरपुर मार्केट में शेखर, आकाश प्रधान व सन्नी जादौन अपनी स्कार्पियो गाड़ी नं0 यू0पी0 16 ई0वाई0 9700 तथा दूसरी गाडी थार से वादी के घर पर आकर वादी के परिवारीजनों के साथ मारपीट व गालीगलौज की। घटना का विडियो नगर पालिका ऑफिस जहांगीरपुर जेवर में रिकार्ड है। रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

3. जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) को सुना तथा प्रपत्रो का अवलोकन किया।

4. आवेदक/अभियुक्त की ओर से तर्क दिया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी है जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। धारा 109 व 3(5) बी0एन0एस0 एवं 3/25/27 आयुध अधिनियम की बढोत्तरी बाद में की गयी है।प्रार्थी द्वारा वादी के साथ मारपीट या गालीगलौज नहीं की है, न ही जान से मारने की धमकी दी है। न ही नामित सहअभियुक्तके साथ मिलकर वादी को डराने की नीयत से किसी अवैध हथियार से कोई हवाई फायर किया है। कोई हथियार की बरामदगी नहीं हुई है।प्रार्थी व वादी एक ही कस्बे के है एक दूसरे से परिचित है। प्रार्थी एक 29 वर्ष का नवयुवक है, दिनांक 7.6.26 को नवजात पुत्री पैदा हुई है, प्रार्थी तभी से अपनी पत्नी व पुत्री की देखभाल में था, कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, जमानत प्रदान की जाये।

विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि वादी मुकदमा ने स्वयं अपने बयान में हवाई फायर करने का कथन किया है, धारा 109 बी0एन0एस0 प्रकरण में आकृष्ट नहीं होती है।दिनांक 30.07.2026 से कारागार में निरूद्ध है, जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाये।

5. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध किया है तथा तर्क दिया है कि अभियुक्त अपराधी किस्म का है, जान से

मारने की नीयत से फायरिंग की गई है, जिसकी वीडियो, पेन ड्राईव में केस डायरी के साथ संलग्न है। जमानत पर रिहा किये जाने की दशा में अभियुक्त पुनः जानलेवा हमला कर सकता है, जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाये।

6. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा तथा वादी की पत्नी, मजरूब श्रीमती चन्द्रकला द्वारा अपने बयानो में विनिर्दिष्ट रूप से कथन किया है कि दिनांक 24.05.26 की रात्रि लगभग 11:20 बजे शेखर जादौन तथा केशव राना ने उनके घर पर आकर जान से मारने की धमकी देकर व होटल खाली करने की धमकी देकर चले गये, उसके पश्चात् दिनांक 25.05.2026 को शाम 06:30 बजे जब वह कस्बे में था तभी शेखर जादौन, आकाश, सन्नी जादौन अपनी स्कार्पियो व थार कार से उसके घर आये और उसके परिवार वालो के साथ मारपीट व गालीगलौज की, केशव व शेखर द्वारा जान से मारने की नीयत से घर पर तमंचो से फायर किया। घटना का पूरा वीडियो नगर पालिका ऑफिस जहागीरपुर जेवर के सीसीटीवी कैमरे में रिकार्ड है। अभियोजन द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में भी समान प्रकार के मामलो में अभियोग पंजीकृत होने का कथन किया गया है।

धारा 109 बी0एन0एस0 के अपराध हेतु उपहति का होना आवश्यक नहीं है, अपितु जान से मारने की नीयत सारवान होती है। प्रस्तुत प्रकरण में अग्नेयास्त्र, अभियुक्त द्वारा चलाया जाना बताया गया है, इसकी पुष्टि में पेन ड्राईव में सी0सी0टी0वी0फुटेज केस डायरी के साथ संलग्न है। मामला मात्र साधारण उपहति एवं मारपीट का नहीं है। इस स्तर पर तथ्यो एवं परिस्थितियों में अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं हैं।

<u>आदेश</u>

7. प्रार्थी/अभियुक्त शेखर द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

आदेश की प्रति प्रार्थी/अभियुक्त को निःशुल्क प्रदान की जाये।

(सोमप्रभा मिश्रा)
(J.O. Code-UP06136)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
गौतमबुद्धनगर।

"Check and verify the genuineness of the order through www.ecourts.gov.in"

Digitally signed by SOMPRABHA MISHRA
Date: 2026.08.07 15:09:26 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court